खाने से सम्बन्धित निविदा शर्तें

1. फर्म का नाम व पता :
2. पैन नं0:
3. जी0एस0टी0 नं0 :
4. निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20,000/— (रूपया बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के नाम देय होगा।
5. गत दो वर्षो के आयकर क्लीयरेंस के प्रमाण की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. संलग्न निविदा फार्म पूरी तरह भरा होना चाहिए और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
7. यदि जी0एस0टी0 देय है तो उसका उल्लेख करें।
8. कार्य अनुभव के रूप में किसी भी तीन सरकारी संस्थानों में बफे कैटरिंग के तीन आदेश एवं लंच पैक्ड आपूर्ति के तीन आदेशों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदा भरने वाली फर्म का लखनऊ में रेस्टोरेन्ट होना अनिवार्य है।
10. अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
11. निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी दशा में वापस नही होगा।
12. कोई भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार परिषद के महानिदेशक को होगा।
13. बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त हुई निविदाएं मान्य नहीं होगी।
14. रेट की वैधता न्यूनतम एक वर्ष तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की सहमति पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

15. निविदा दिनॉक 01–06–2022 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे खोली जायेगी।

16. जिन फर्मो की तकनीकी बिड स्वीकार नही होगी, उस फर्म की फाइनेन्शियल बिड बिना खोले वापस कर दी जायेगी।

17. परिषद में समय–समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 40 से 50 होने पर भी फर्म को परिषद में बफे लंच की व्यवस्था करना होगा।

18. परिषद में आयोजित किसी भी प्रोग्राम में प्रयोग की जाने वाली सभी क्राकरी बोन चायना मेक होगी।

19. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर परिषद एवं फर्म के मध्य अनुबन्ध करना होगा, जिसका व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

20. धरोहर धनराशि रू0 20,000/– टेंण्डर/अनुबंध अवधि तक परिषद में जमा रहेगी। यदि कार्य में कोई कमी होती है तो परिषद द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जोयगी।